FORM NO -III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत जिला कलक्टर **मुकाम** नागौर

अपीलांट	बनाम	रेस्पोडेण्ट
मानाराम धायल पुत्र श्री रामदीनराम उम्र 50 वर्ष निवासी ग्राम डोबड़ी सांवलदास पोस्ट डोबड़ी कला, तहसील मकराना, जिला नागौर		1. जिला रसद अधिकारी नागौर 2. श्री बनवारीलाल पुत्र खेमाराम निवासी डोबड़ी कल्ला, तहसील मकराना जिला नागौर

किस्म मुकदमा रसद प्रार्थना **संख्या** 46/ 2019

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
17.12.19	प्रार्थी ने यह आवेदन पत्र पेश कर उक्त अपील संख्या 16/2019 मानाराम बनाम जिला रसद अधिकारी नागौर व अन्य में पारित आदेश दिनांक 02.05.2019 की पालना हेतु जिला रसद अधिकारी नागौर व संबंधित को निर्देश जारी करने व जरिये आदेश जिला रसद अधिकारी नागौर को विभागीय प्रकरण राजस्थान सरकार बनाम मैसर्स बनवारीलाल का निस्तारण हस्तगत प्रार्थना पत्र के दिनांक से 30 दिवस के भीतर करने हेतु निर्देशित करने का निवेदन किया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण के संबंध में प्रार्थी द्वारा पूर्व में न्यायालय हाजा में राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश1976 के खण्ड 22 (1)(ए) के तहत जिला रसद अधिकारी नागौर द्वारा विभागीय प्रकरण संख्या 20/18 के सन्दर्भ में बनवारीलाल उचित मूल्य दुकानदार डोबड़ी कलां तहसील मकराना के विरूद्ध दर्ज विभागीय प्रकरण को लम्बित रखते हुऐ प्राधिकार पत्र तुरन्त प्रभाव से बहाल किय जाने के आदेश क्रमांक 179 दिनांक 29.11.2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की है। जिस पर न्यायालय हाजा द्वारा रसद अपील संख्या 16/2019 मानाराम बनाम जिला रसद अधिकारी नागौर प्रकरण दर्ज कर बाद सुनवाई अपीलान्ट मानाराम द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने निर्णय दिनांक 02.05.2019 से खारिज की जाकर प्रत्यर्थी संख्या–1 जिला रसद अधिकारी नागौर को उक्त निर्णय के बिन्दु संख्या–13 में किये गये विवेचन में दिये गये तथ्यों को भी दृष्टिगत रखते हुऐ, विचाराधीन विभागीय प्रकरण संख्या–20/2018 का विधि अनुसार कार्यवाही करते हुऐ यथाशीघ्र निस्तारण करने के निर्देश दिये गये थे। परन्तु प्रार्थी के आवेदन अनुसार अप्रार्थी जिला रसद अधिकारी नागौर ने अभी तक उक्त विभागीय प्रकरण संख्या 20/2018 का निस्तारण नहीं किया है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थी संख्या–1 जिला रसद अधिकारी नागौर को निर्देश दिया जाता है कि हस्तगत प्रकरण के संबंध में रसद अपील संख्या 16/2019 मानाराम बनाम जिला रसद अधिकारी नागौर व अन्य में इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.05.2019 की पालना इस आदेश की प्रति प्राप्त होने की दिनांक से 30 दिवस में पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें। आदेश की प्रति जिला रसद अधिकारी नागौर को पालनार्थ भिजवाई जावे। प्रकरण दर्ज रजिस्टर होकर बाद आवश्यक कार्यवाही फैसल सुमार हो। आदेश सुनाया गया। (दिनेश कुमार यादव) जिला कलक्टर,नागौर कलक्टर, नागौर	

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Yadav
Date: 2020.01.22 18:17:42 IST
Reason: SelfAttested